न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर मुख्यालय जयुपर।

बइजलासः कुंतल विश्नोई आर.ए.एस

वाद संख्या 17/2017 निर्णय दिनांकः– 16.01.2018

1. राजेन्द्र शर्मा पुत्र शंकर लाल, जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पूनाना तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. श्रीमती शकुन्तला पुत्री शंकर लाल पत्नी नवल किशोर जाति ब्राह्मण निवासी ए–67, लक्ष्मीनारायणपुरी सूरजपोल, जयपुर।
3. मन्नालाल उर्फ मनोहर पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पूनाना तहसील आमेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर
2. माफी मन्दिर श्री सीताराम जरिये पुजारी तरूण पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम पूनाना तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 व 92ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र में आराजी खसरा नम्बर 255 रकबा 8 बीघा, खसरा नम्बर 261 सकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 262 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 266 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा खसरा नम्बर 267 रकबा 1 बीघा खसरा नम्बर 268 रकबा 14 बिस्वा खसरा नम्बर 275 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 276 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 8 कुल सकब 18 बीघा 2 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 776 रकबा 2.02 हैक्टेयर, खसरा 777 रकबा 0.61 हैक्टेयर खसरा नम्बर 788 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 790 रकबा 1.61 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.58 हैक्टेयर वाके ग्राम पूनाना तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित है के रिकार्डेड खातेदार काश्ताकार स्व. रामेश्वर पुत्र धन्नालाल, गंगासहाय, शंकर लाल पुत्र भौरी लाल ब्राह्मण थे।

उक्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार वादी के पिता रामेश्वर का स्वर्गवास हो चुका है। जो कि 1/3 हिस्सके के सहकृषक है गंगासहाय एवं उनके पुत्र बंशीधर का भी स्वर्गवास हो गया है। बंशीधर के केवल मात्र दो पुत्रियां मंजू एवं मीरा है। जिनक 1/3 हिस्सा की सह कृषक है जिन्होने अपना हिस्सा जरिये विक्रय पत्र विक्रय कर दिया गया है वादी का पिता शंकर लाला पुत्र मांगीलाल का स्वर्गवास हो गया है। जिनका उक्त आराजीयात में 1/3 हिस्सा निहित है तथा काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहा है।

उक्त आराजीयात पर वादीगण अरसे दराज से उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त कर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। सम्वत 2004–23 की खातौनी में खातेदारों का नाम अंकित है। उक्त खातौनी रिकार्ड ऑफ राइट है। जिको नजर अन्दाज कर भू प्रबन्ध

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
आमेर मु. जयपुर

विभाग ने गत रिकार्ड से हाल रिकार्ड तैयार करते समय नामान्तकरण संख्या 17 दिनांक 20.08.1999 द्वारा वादी की खातेदारी समाप्त कर माफी मन्दिर श्री सीताराम जी के खाते में दर्ज कर दिया। जबकि उक्त आराजीयात ठा. श्री सीताराम जी के नाम कभी खातेदारी में अंकित नही है। यह नामान्तकरण तहसीलदार जी ने गलत तस्दीक कर दिया। जबकि इन्द्राज पूर्वानुसार दर्ज होना चाहिये था।

यह दावा हाजा के लिए बिनाय मुखासमत दिनांक 20.08.1999 को गलत नामान्तकरण तस्दीक किये जाने पर पैदा हुई दावा इस्तहार हक में कोई मियाद मुकरर नही है वादीगण आराजी मुतदाविया पर बतौर यह कृषक काबिज है बाकि 1/3 हिस्सा मंजू व मीर बतौर यह कृषक काबिज है।

विवादित आराजीयात पर वादीगण व पूर्वाधिकारी अपने हिस्सेनुसार राज. काश्तकारी अधिनियम प्रभावशील होने से पूर्व से व उस दिन व उसके पश्चात् से आज दिनांक तक अधिकार काबिज होकर काश्तकार प्राकृतिक एवं उपज का उपभोग एवं उपभोग उठाते चले आ रहे है। केवल मात्र अन्य सहखातेदारों के प्रभव में आने से प्रतिवादी द्वारा छलपूर्वक विवादित अराजी की खातेदारी में अपना नाम दर्ज करवाया है जिसके सम्बन्ध में पूर्ण विवरण मद संख्या 3 में वर्णित किय गय है। जिसकों दुरूस्त करवाकर वादीगण अपने नाम प्रार्थनीय खातेदारी अधिकारों की घोषणा कानूनन व न्यायानुसार करवाने के पूर्ण अधिकारी है।

विवादित आराजीयात के विषय में पूर्व में कोई विवाद नही था जिसके कारण वादीगण ने विवदित आराजीयात के विषय में पूर्व में कोई वाद प्रस्तुत नही किया है। प्रतिवादीगण संख्या 2 की नियत में फितुर आ जाने व जमीनों की कीमतें बढ जाने से प्रतिवादी संख्या 2 के मन में अब बेईमानी आ गई तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से कारकूनान कर प्रतिवादी संख्या 2 ने मिलीभगत कर अन्य सहखातेदारों को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर एक नाजायज गिरोह बना रखा है जो विवादित आराजी को औने पौने दामों में अवैधानिक रूप से विक्रय हस्तान्तरण करने एवं वादीगण के बेदखल करने पर आमादा हो रहे है । जिस क्रम में प्रतिवादीगण संख्या 2 व अन्य पडौसी खातेदारों को साथ लेकर दिनांक 01.01.2017 को वादीगण के पास आये और आकर वादीगण को कहा कि कुछ पैसे लेकर कब्जा विवादित आराजीयात को छोडकर प्रतिवादी गण संख्या 2 को सम्भला देवे जिस पर वादीगण के मना करने पर प्रतिवादी सख्या 2 ने वादीगण को धमकी दी है कि वो विवादित आराजीयात के विषय में भूमाफिया गिरोह के ऐसे व्यक्तियों को बेचान कर देगे जो की वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल कर बलपूर्वक कब्जा ले लेगे। यदि प्रतिवादीगण ऐसा करने में सफल हो गये तो बिना कारण पक्षकारान में मुकदमें बाजी बढेगी तथा वादीगण अपने वैधानिक अधिकारों से वंचित हो जायेगें। और उनको असहाय क्षति होगी। प्रतिवादीगण को विवादित आराजीयात वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत करने के लिए किसी भी प्रकार से कोई अधिकार नही है। वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 2 के ऐसा न करने व न अन्य से करवाने क लिए प्रार्थनीय स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने एवं अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
आमेर, जयपुर

प्रस्तुत वाद के लिए वादकारण प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 01.01.2017 को विवादित भूमि के विषय में भू माफियाओं के गिरोह के व्यक्तियों को विक्रय करने एवं प्रतिवादीगण संख्य 2 द्वारा जबरन कब्जा किये जाने की धमकी दिये जाने के कारण वादीगण के विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद हेतुक उत्पन्न होकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद हाजा पेश करना आवश्यक हुआ है।

वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी पेश कर निवेदन किया है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमावे जाने की घोषणा की जावे। विवादित आराजीयात भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 255 रकबा 8 बीघा, खसरा नम्बर 261 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 262 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 266 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा खसरा नम्बर 267 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 268 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 275 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 276 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 18 बीघा 2 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 776 रकबा 2.02 हैक्टेयर, खसरा 777 रकबा 0.61 हैक्टेयर खसरा नम्बर 788 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 790 रकबा 1.61 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.58 हैक्टेयर वाके ग्राम पूनाना तहसील आमेर जिला जयपुर में वादी संख्या 1 व 2 का 1/3, व वादी संख्या 3 का 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में वादीगण का नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

उक्त वाद पत्र प्रस्तुत होने पर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को अनेक अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब दावा पेश नही किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 3 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने पर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादीगण की ओर से बतौर सबूत दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त संवत 2004–2023 प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी संवत 2030 से 2034, प्रदर्श 2 नकल जमाबन्दी संवत 2022 से 2026, प्रदर्श 3, नकल जमाबन्दी संवत 2018 से 2022 प्रदर्श 4, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 5 एवं हाल जमाबन्दी संवत 2069 से 2072 प्रदर्श 6 पेश किये गये हैं तथा पी.डब्ल्यू 1 लगायत पी.डब्ल्यू 3 के शपथ पत्र बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है।

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। जिन्होंने वादपत्र में अंकित तथ्यों का वर्णन करते हुए अपने कथनों के समर्थन में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप 6) विभाग के परिपत्र क्रमांक 3 (2) राज–6/2007/14 दिनांक 24.05.2007 के हवाले से कथन किया कि विवादित भूमि पूर्व में खातेदारों के नाम दर्ज थी, जो गलत रूप से माफी मन्दिर की दर्ज हुई है। जो पूर्व काश्तकारों के उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरणीय अधिकार की भूमियां है। इसी सन्दर्भ में 2015 (2) RRT 1130 का भी विवेचन कर कथन किया कि राजस्व रिकॉर्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।

हमने विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। तथा प्रस्तुत परिपत्र एवं दृष्टान्त का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रस्तुत दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त संवत 2004 से 2023 में विवादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 776,

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
आमेर, जयपुर

777, 788, 790 के साबिक खसरा नंबर मिलान क्षेत्रफल अनुसार 255, 261, 262, 266 से 268, 275 व 276 मिन थे। उक्त आराजी के खातेदार खतौनी बन्दोबस्त मौजा पुनाना संवत 2004 लगायत संवत 2023 के खाता संख्या 17 के अनुसार रामेश्वर वल्द धन्नालाल, गंगासहाय व शंकर लाल पि. मांगीलाल कौम ब्राह्मण हिस्सा बराबर पट्टेदार सादेह दर्ज थे। इस प्रकार यह भूमि मन्दिर श्री सीताराम जी की नहीं रही है।

उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर विवादित भूमि माफी मन्दिर की भूमि साबित ना होने से वादीगण का वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का डिक्री किया जाता है। तद् अनुसार भूमि खसरा नम्बर 255 रकबा 8 बीघा, खसरा नम्बर 261 सकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 262 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 266 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा खसरा नम्बर 267 रकबा 1 बीघा खसरा नम्बर 268 रकबा 14 बिस्वा खसरा नम्बर 275 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 276 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 18 बीघा 2 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 776 रकबा 2.02 हैक्टेयर, खसरा 777 रकबा 0.61 हैक्टेयर खसरा नम्बर 788 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 790 रकबा 1.61 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.58 हैक्टेयर वाके ग्राम पूनाना तहसील आमेर जिला जयपुर में वादी संख्या 1 व 2 का 1/3 व वादी संख्या 3 का 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादीगणों का नाम उनके हिस्सा अनुसार दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है। अन्तिम डिक्री जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
आमेर, जयपुर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
आमेर मु0 जयपुर

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर आमेर, मु0 जयपुर
पीठासीन अधिकारी **कुंतल विश्नोई (आर.ए.एस)**
राजस्व वाद संख्या 17/2017/ दावा

1. राजेन्द्र शर्मा पुत्र शंकर लाल, जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पूनाना तहसील आमेर जिला जयपुर।
2. श्रीमती शकुन्तला पुत्री शंकर लाल पत्नी नवल किशोर जाति ब्राह्मण निवासी ए–47, लक्ष्मीनारायणपुरी सूरजपोल, जयपुर।
3. मन्नालाल उर्फ मनोहर पुत्र रामेश्वर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पूनाना तहसील आमेर जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर
2. माफी मन्दिर श्री सीताराम जरिये पुजारी तरूण पुत्र राजेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम पूनाना तहसील आमेर जिला जयपुर।
3. उप पंजीयक आमेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 व 92ए राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

दिनांक 16.01.2018

विवादित भूमि माफी मन्दिर की भूमि साबित ना होने से वादीगण का वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का डिक्री किया जाता है। तद् अनुसार भूमि खसरा नम्बर 255 रकबा 8 बीघा, खसरा नम्बर 261 सकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 262 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 266 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा खसरा नम्बर 267 रकबा 1 बीघा खसरा नम्बर 268 रकबा 14 बिस्वा खसरा नम्बर 275 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 276 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 18 बीघा 2 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 776 रकबा 2.02 हैक्टेयर, खसरा 777 रकबा 0.61 हैक्टेयर खसरा नम्बर 788 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 790 रकबा 1.61 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 4.58 हैक्टेयर वाके ग्राम पूनाना तहसील आमेर जिला जयपुर में वादी संख्या 1 व 2 का 1/3 व वादी संख्या 3 का 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादीगणों का नाम उनके हिस्सा अनुसार दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 16.01.2018 को जारी किया ।

दस्तखत——
ओहदा——

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
आमेर मु0 जयपुर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
आमेर मु0 जयपुर

मुवक्किल	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा		–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित		
मीजान			मीजान		